

द्वितीय वाहन निविदा वर्ष 2026-27

तकनीकी बिन्दु

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी, अल्मोड़ा।

उर्पाजन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1. उर्पाजन :-.....
2. मार्ग का नाम जिस हेतु निविदा दी जा रही है:-.....
3. निविदा दाता का नाम:-.....
4. मोबाईल नम्बर:-.....
5. निविदा दाता का आधार नम्बर:-.....
6. निविदादाता के पिता/पति का नाम:-.....
7. स्थाई पता:-.....
8. पत्राचार का पता:-.....
9. वाहन का प्रकार:-.....
10. मॉडल वर्ष:-.....
11. (आर0सी0*)वाहन संख्या:-.....
12. वाहन स्वामी का नाम:-.....
13. वाहन के बीमा की वैधता तिथि*:-.....
14. रोडटैक्स की वैधता तिथि*:-.....
15. वाहन फिटनेस की तिथि:-.....
16. जमानत धनराशि* रूपया:-..... तिथि..... रसीद संख्या.....

निविदादाता द्वारा
अपना नवीनतम
स्वप्रमाणित
छायाचित्र चस्पा
किया जाय।

(निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 750+135 = 885.00 जी0एस0टी0 सहित है। यदि निविदा प्रपत्र वैवसाईट से डाउनलोड किया गया है तो, निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 885.00 का बैंक ड्राफ्ट अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।)

बैंक का नाम..... बैंक ड्राफ्ट संख्या..... धनराशि..... दिनांक.....

मैंने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा द्वारा निविदा हेतु तय की गयी सभी शर्तों को मेरे द्वारा भलि-भाँति पढ़ व समझ लिया गया है। मैं दुग्ध संघ अल्मोड़ा के साथ उक्त समस्त शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने के लिए तैयार हूँ। उपयुक्त पृविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरी/भरवायी हैं जो कि मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही हैं। यदि कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो, संस्था को पूर्ण रूपेण अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध को बिना किसी मोटिस के निरस्त कर दें।

1. जो लागू न हो उसे काट दें, अपर लेखन न करें। गलत होने पर काटकर अपने हस्ताक्षर कर नया लिखें।
2. शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से जिस मार्ग हेतु निविदा डाली जा रही है, उसका नाम अवश्य अंकित किया जाय।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता.....

मोबाइल नम्बर-.....

द्वितीय वाहन निविदा वर्ष 2026-27

वित्तीय बिन्दु

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पातालदेवी, अल्मोड़ा

उर्पाजन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1. मार्ग का नाम जिस हेतु निविदा दी जा रही है:—.....
2. उर्पाजन :-.....
3. निविदादाता का नाम:—.....
4. वाहन का प्रकार:—.....
5. मॉडल वर्ष:—.....
6. वाहन संख्या:—.....
7. निविदा उर्पाजन दर रूपया:—.....
(शब्दों में.....)

दर प्रति किमी० में (अंकित की जाय)

8. निविदा निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता.....

नोट:— उर्पाजन कार्य हेतु वाहन की दरें प्रति किमी० में स्वीकार की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त डाली गयी निविदाओ पर विचार नहीं किया जायेगा। जो लागू न हो उसे काट दें, अपर लेखन न करें। गलत होने पर काट कर अपने हस्ताक्षर करें। अन्यथा टेण्डर निरस्त माना जायेगा।

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पातालदेवी, अल्मोड़ा।

उपार्जन/विपणन कार्य हेतु वाहन की निविदा शर्तें

1. निविदा दिनांक **25.05.2026** अपराह्न 1:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर एवं निविदा बॉक्स में सीधे भी डाली जा सकती है। उक्त माध्यमों से आगंत्रित निविदाएं उरी दिन शाम 1:30 बजे से उपस्थित निविदाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र रू० 885.00 की नकद धनराशि से दुग्ध संघ कैशियर अल्मोड़ा एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्र ताड़ीखेत व बागेश्वर से प्राप्त किया जा सकता है या यू०सी०डी०एफ०लि०, हल्द्वानी की वेबसाइट www.ucdfaanchal.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये निविदा फार्म में रू० 885.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० अल्मोड़ा के नाम देय होगा।
2. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा। प्रत्येक मार्ग हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र भरकर देना होगा।
3. निविदा हेतु विपणन एवं उपार्जन वाहन के वाहन साइकलो टेंकर समकक्ष 2025 से 2026 तक समभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा दिये गये परमिट के अनुसार मान्य होगा।
4. उपार्जन कार्य हेतु वाहन की दरें प्रति किमी० एवं विपणन हेतु प्रति लीटर में स्वीकार की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त डाली गयी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में क्रमशः तकनीकी बिन्दु एवं वित्तीय बिन्दु को रखते हुए उन्हें एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखकर डाली जाय। तकनीकी बिन्दु की सभी अर्हतायें पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिन्दु का लिफाफा खोला जायेगा। शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से जिस मार्ग हेतु निविदा डाली जा रही है, उसका नाम अवश्य अंकित किया जाय।
6. निविदायें मार्ग वार खोली जायेगी। इस हेतु किसी भी मार्ग पर तीन निविदायें अथवा प्रोक्योरमेंट नियमावली के अनुसार प्राप्त होनी आवश्यक हैं, नियमानुसार निविदाएं प्राप्त होने पर निविदा मान्य होगी।
7. दुग्ध संघ में जो परिवहनकर्ता विवादित चल रहे हैं, या जिनको काली सूची में डाला गया है एवं जो संस्था के बकायेदार हैं, उनका तथा उनके परिवार/फर्म द्वारा दी गई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। संस्था में कार्य कर रहे/पूर्व ट्रांसपोर्टों को प्रभारी वित्त से अदेयता प्रमाण पत्र व प्रभारी विपणन से संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अदेयता प्रमाण पत्र व संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न न होने पर निरस्त कर दी जायेगी।
8. एक वाहन से केवल एक ही मार्ग की निविदा मान्य होगी। अप्लाई फॉर वाहन मान्य नहीं होंगे। एक से अधिक मार्गों हेतु एक ही वाहन की निविदा भरे जाने पर निविदादाता की समस्त मार्गों की निविदायें निरस्त कर जमानत धनराशि संस्था द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
9. एक जमानत धनराशि (धरोहर राशि) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक ही जमानत धनराशि (धरोहर राशि) से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा जमानत धनराशि (धरोहर राशि) को जब्त कर लिया जायेगा।
10. विशेष परिस्थितियों में मुख्तार नामा (Power of Attorney) मान्य होगा। वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होना चाहिए। उपार्जन एवं विपणन हेतु छोटे वाहन पिकप यूटिलिटी एवं समकक्ष वाहन अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य है।
11. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में उपार्जन/विपणन कार्य हेतु निविदा व मार्ग का नाम तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
12. समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।
13. निविदा प्रपत्र में अपर लेखन (Over Writing) मान्य नहीं होगी। त्रुटि हो जाने पर अपर लेखन न करें। काटकर पुनः स्पष्ट रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
14. एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रधान प्रबन्धक अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पातालदेवी, अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।
15. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा गया हो। स्वप्रमाणित छाया चित्र चस्पा किया गया हो, वाहन की आर०सी०, बीमा, पेन कार्ड (PAN) की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा एक फोटो युक्त पहचान पत्र (मतदाता पहचानपत्र, डी०एल०, आधार कार्ड आदि) की स्वप्रमाणित छायाप्रति व निरस्त चैक टेण्डरदाता के नाम सहित भी संलग्न की जाय।
16. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा में उल्लेखित वाहन की आर०सी०, बीमा, रोडटैक्स, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण एवं पैनकार्ड के मूल प्रपत्र निविदा कमेटी के सम्मुख निविदा स्वीकार होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने होंगे तथा कार्यालय अभिलेखों हेतु उक्त समस्त की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करानी होंगी। कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् उक्त सभी प्रपत्रों के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

17. अर्नेस्टमनी प्रत्येक निविदादाता द्वारा रू0 5000.00 (पाँच हजार मात्र) की धनराशि निविदा प्रपत्र के साथ दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कोषागार में नकद अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट (जो कि अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के नाम देय हो) द्वारा जमा किया जायेगा। अर्नेस्ट मनी हेतु बैंक या पूर्व में जमा जमानत धनराशि इस निविदा हेतु मान्य नहीं होंगे। निविदा स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस धनराशि का समायोजन निविदादाता द्वारा स्वीकृत निविदा की जमानत धनराशि हेतु भी कराया जा सकेगा। निविदा स्वीकृत होने के बाद निविदा स्वीकार न करने पर अर्नेस्टमनी रू0 5000.00(पाँच हजार मात्र) जब्त कर ली जायेगी।
18. उपार्जन के लगे वाहनों हेतु जमानत धनराशि (धरोहर राशि) "टाटा 407 समकक्ष व उससे ऊपर के वाहनों हेतु रूपया 30,000.00 (तीस हजार मात्र) एवं उक्त से छोटे वाहनों के लिए रूपया 20000.00 (बीस हजार मात्र) की धनराशि निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कोषागार में नकद अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट (जो कि अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के नाम देय हो) द्वारा जमा किया जायेगा। विपणन में लगे वाहन छोटे वाहन हेतु 30000.00 (तीस हजार मात्र) व बड़े वाहन हेतु 50000.00 (पचास हजार मात्र) धनराशि निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कोषागार में नकद अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट (जो कि अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के नाम देय हो) द्वारा जमा किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने के पश्चात् किसी भी दशा में विपणन में लगे छोटे वाहनों को पचास हजार व बड़े वाहन को एक लाख बैंक गारन्टी एफ0डी0 संलग्न कर देनी होगी।
20. विवादों का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017 एवं उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अधीन होगा।
21. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रू0 धनराशि का स्टाम्प पेपर निविदादाता को प्रस्तुत करना होगा।
22. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति पर निविदा पूर्ण होने तक उन्ही दरों एवं शर्तों पर अवधि बढ़ायी जा सकती है, बढ़ाई गई अवधि में भी अनुबन्ध की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
23. स्वीकृत निविदा को आवश्यकता नहीं होने पर बिना कारण बताये एक माह के नोटिस पर हटाया जा सकता है।
24. सरकार द्वारा लगाये जाने वाले समस्त करों आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। जिसके लिए संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
25. उपार्जन/विपणन मार्गों पर लगने वाले समस्त कर जैसे पथ कर, सेतु कर, समस्त करों आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा। संस्था द्वारा वाहन को निर्धारित मार्ग से अन्यत्र मार्ग पर भेजे जाने की स्थिति पर ही उक्त कर संस्था द्वारा देय होंगे।
26. निविदा प्रपत्र के साथ मार्ग वार दी गयी दूरी अनुमानित है, कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्था के प्रतिनिधि द्वारा परिवहन कर्ता के साथ मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, उसी के अनुसार भुगतान देय होगा।
27. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त वाहन के मार्ग की दूरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, या मार्ग में आशिक/पूर्ण परिवर्तन भी किया जा सकता है, एवं दुग्ध उपार्जन/बिक्री कम होने पर वाहन हटाया जा सकेगा। जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
28. चालक/परिचालक की व्यवस्था परिवहनकर्ता को स्वयं करनी होगी। चालक/परिचालक का नाम, पता व चालक का चालन अनुज्ञापित (Driving licence) की स्व प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी। चालक/परिचालक के बदलने पर सूचना भी कार्यालय को देनी अनिवार्य होगी। वाहन के समस्त रख-रखाव की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

29. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य का अनुबन्ध एवं अनुबन्ध की कार्यावधि को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना निविदादाता के लिए आवश्यक होगा। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य का अनुबन्ध न करने अथवा कार्यावधि में वाहन हटाये जाने पर जमानत राशि संस्था द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
30. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को अपने वाहन सहित निरीक्षण हेतु संस्था द्वारा निर्धारित तिथि को संस्था अवशीतन केन्द्रों चौखुटिया, ताड़ीखेत, जैती, बागेश्वर (कमेड़ी) या मुख्य दुग्धशाला अल्मोड़ा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
31. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता द्वारा अपने वाहन पर संस्था द्वारा तय मोनो ग्राम एवं विज्ञापन को निर्धारित रंगों पर परिवहनकर्ता के अपने स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
32. परिवहनकर्ता द्वारा विशेष परिस्थितियों में अगर अनुबन्धित वाहन के अतिरिक्त मार्ग पर दूसरा वाहन भेजा जाता है तो, वह समकक्ष वाहन ही भेजा जायेगा एवं उसकी लिखित सूचना कारण एवं वाहन के प्रपत्रों सहित संस्था को देनी होगी।
33. समय-समय पर निविदा कमेटी द्वारा किये जाने वाले निर्णयों जो कि, संस्था हित के लिए आवश्यक हों, इन शर्तों एवं अनुबन्ध में न होते हुए भी निविदादाता को स्वीकार्य होंगी।
34. निविदा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ की रू0 200.00 की नाम मात्र की सदस्यता एवं 25.00 प्रवेश शुल्क कुल 225.00 जमा करना होगा।
35. अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अनुबन्धित मार्ग पर संस्था द्वारा दिये गये कार्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। मार्ग पर वाहन खराब होने या अन्य कोई भी कारण जिससे कार्य प्रभावित हो रहा हो, उसका निदान करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। संस्था द्वारा सिवाय अनुबन्ध की शर्तों में किये गये प्राविधानों के अतिरिक्त किसी प्रकार की धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
36. विपणन/उपार्जन में लगे वाहनो को संस्था की आवश्यकतानुसार उसके कार्यों के साथ-साथ विपणन या उपार्जन के कार्य करने की भी वाध्यता होगी।
37. मार्ग पर दुग्ध समितियों से दूध की केन उठाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। इस हेतु उपार्जन कार्य में लगे वाहनो को लोडर चार्ज छोटे वाहन की दशा में रू0 10.00 व बड़े वाहन की दशा में रू0 15.00 प्रतिदिन देय होगा।
38. परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ/उसके प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये निर्देशों और प्रत्येक मार्ग पर समय-समय पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य करना होगा। अकारण ही दुग्ध समितियों का दूध छोड़ देने, या कोई भी ऐसा कारण जिससे संस्था/समितियों को हानि हो एवं बिलम्ब से वाहन दुग्धशाला/दुग्ध अवशीतक केन्द्र पहुँचने पर दूध के खट्टा-फट्टा होने, वाहन पर नियमानुसार त्रिपाल न लगा होने पर (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) हानि की कटौती संस्था के नियमानुसार परिवहनकर्ता के बिल से की जायेगी।
39. परिवहनकर्ता को नियमित कार्यों के अतिरिक्त दुग्ध संघ या दुग्ध अवशीतक केन्द्र से दुग्ध समितियों को भेजे जाने वाले विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जैसे पशुआहार, भूसा आदि, स्टेशनरी, एम0टी0ई0 व संस्था द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों आदि को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित ले जाना आवश्यक होगा। इस हेतु पशुआहार, भूसा आदि के ढुलान हेतु रू0 40.00 प्रति कुन्टल परिवहनकर्ता को संस्था द्वारा अतिरिक्त देय होगा। शेष सामग्री हेतु (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
40. मार्ग पर दुग्ध उपार्जन अथवा बिक्री कम होने या मार्ग के बन्द होने पर तथा परिवहनकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा दूध की चोरी करने अथवा कोई भी ऐसा कार्य जिससे संस्था को किसी प्रकार की भी क्षति होती हो, ऐसी स्थिति में वाहन को हटाने का पूर्ण अधिकार प्रधान प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।
41. विपणन हेतु बागेश्वर एवं चौखुटिया मार्ग में लगे वाहनो को सम्बन्धित दुग्ध अवशीतक केन्द्रों का पूरा दूध दी गयी समयसारणी के अनुसार मुख्य दुग्धशाला में लाना होगा वाहनो के लेट होने पर खट्टा-फट्टा/दूध मात्रा फैंट एस0एन0एफ0 में कमी की जिम्मेदारी सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर की होगी। वाहन को अव0 केन्द्र ताड़ीखेत का टैंकर से

- अतिरिक्त दूध रानीखेत से मुख्य दुग्धशाला अल्मोड़ा लाना अनिवार्य होगा। जिस हेतु परिवहनकर्ता को कोई अतिरिक्त धनराशि दूध ढुलान हेतु देय नहीं होगी।
42. विपणन वाहन द्वारा जमानत राशि से अधिक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्री की धनराशि से अधिक बकाया करने पर संस्था को परिवहनकर्ता के वाहन का संचालन रोकने का अधिकार होगा।
 43. विपणन कार्य में लगे परिवहनकर्ताओं को खाद्य पदार्थों के ढुलान हेतु फूड सेफ्टी लाईसेंस व वाणिज्य कर/जी0एस0टी0 विभाग का रजिस्ट्रेशन अनुबन्ध के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन नहीं होने की दशा में उक्त हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति/रसीद भी लगाई जा सकती है।
 44. दुग्ध विपणन में लगे परिवहनकर्ताओं को मुख्य दुग्धशाला से उठाये गये कुल दूध का एक प्रतिशत लिकेज दूध की प्रति पूर्ति हेतु अतिरिक्त दिया जायेगा। अपरिहार्य कारणों को छोड़कर दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की वापसी किसी भी अवस्था में नहीं की जायेगी।
 45. दुग्ध विपणन में लगे परिवहनकर्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के निर्गत चालानों के आधार पर विक्री की सम्पूर्ण धनराशि प्रतिदिन दुग्ध संघ के कोषागार या बैंक खाते जमा करानी होगी। बैंक गारन्टी से अधिक धनराशि बकाया होने पर संस्था द्वारा परिवहनकर्ता का वाहन जब्त कर लिया जायेगा व बकाया धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विधिक कार्य वाही आरम्भ कर दी जायेगी। विधिक कार्यवाही पर दुग्ध संघ की ब्यय होने वाली धनराशि की वसूली भी परिवहनकर्ता से की जायेगी।
 46. उर्पाजन में लगे टेंकर को ताड़ीखेत-अल्मोड़ा के अलावा संस्था को आवश्यकता होने पर अपनी मुख्य दुग्धशाला या अवशीतक केन्द्रों से अन्य स्थानों पर भी दूध छोड़ने या लाने के लिए भेजा जा सकता है, जिस हेतु निविदादाता को ताड़ीखेत-अल्मोड़ा की दूरी के सापेक्ष भुगतान की जा रही धनराशि के अनुपात में भुगतान किया जायेगा।
 47. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो प्रधान प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा को परिवहनकर्ता से सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होगा।
 48. निविदादाता अथवा उसके निकट सम्बन्धी (माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी-बच्चे) द्वारा संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी प्राईवेट ब्राण्ड का दुग्ध व्यवसाय किया जाता होगा तो ऐसे निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। एवं निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त भी ऐसा प्रकरण पाये जाने पर निविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
 49. डाक रजिस्टर वाहन में मे होना अनिवार्य है जिसे ट्रांसपोर्टरों को गेट से ले जाकर गेट पर ही रखना होगा।
 50. टेन्डर में लगा वाहन ही सम्बन्धित कार्य के लिए मान्य होगा।
 51. वाहन के अदेयता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।
 52. वाहन के चालक का व्यवहार ठीक होना आवश्यक है।
 53. विक्रय वाहन के माह के अन्त में क्रेटों का मिलान किया जाना आवश्यक है। क्रेट कम पाये जाने पर ट्रांसपोर्टर के उस माह के बिल से कटौती कर दी जायेगी।
 54. ऑंचल के अलावा अन्य ब्राण्ड की क्रेटें मुख्य दुग्धशाला में नहीं ली जायेंगी।
 55. वाहन दुर्घटना होने पर वाहन के होल दूध/चिल्ड दूध/पैकेट दूध एवं दुग्ध पदार्थ और बारदाना का नुकसान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।
 56. वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नहीं करने होंगे।
 57. दैवीय आपदा/दुर्घटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नहीं होगा।
 58. वाहन खराब होने/दुर्घटना होने/अन्य कारणों से व्यवधान होने पर निविदादाता को वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
 59. संस्था द्वारा मार्गों की अधिकतम दर निर्धारित करते हुए निविदा फार्मों के साथ संलग्न की जा रही है।
 60. संस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पाये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी

61. दुलान बिल अत्यधिक विलम्ब एवं एक साथ कहीं माहों का बिल प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए परिवहनदाता का उत्तरदायित्व होगा। भुगतान कम से कम 45 दिन बाद होगा।
62. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्धों का उल्लंघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है। तो प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, अल्मोड़ा को परिवहनकर्ता से सम्पूर्ण क्षति पूर्ति करने का अधिकार होगा।
63. वाहन में दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी किसान/प्राइवेट व्यवसाय का दूध दुलान नहीं किया जायेगा। यदि दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का दूध वाहन में पाया जाता है तो प्रकरण को चोरी से संबन्धित मानते हुए चोरी के दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
64. चोरी करते हुए पाये जाने अथवा स्टॉफ से दुव्यवहार करने का प्रथम दृष्टया 5000.00 रुपये की कटौती की जायेगी तथा जमानत राशि जब्त करते हुए वाहन संस्था से पृथक कर दिया जायेगा तथा सदैव के लिए सम्बन्धित को संस्था की काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
65. उपार्जन एवं विपणन निविदादाता को संस्था द्वारा दिये गये समयानुसार दुग्ध उपार्जन एवं विपणन करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा निर्धारित समयानुसार दुग्ध समितियों का दूध संबन्धित दुग्ध अवशीतक केन्द्रों/मुख्य दुग्धशाला में नहीं पहुँचने पर कट्टे-फट्टे की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
66. उपार्जन एवं विपणन के वाहनों में स्टॉफ को ले जाना अनिवार्य होगा। सवारी व डेयरी से सम्बन्धित सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामान ले जाना प्रतिबंधित होगा।

निविदा की धोषणा

उक्त शर्तों को मैंने भली-भांति पढ़ एवं समझा लिया है, मैं सभी शर्तों को समझने के पश्चात् ही निविदा डाल रहा हूँ जो कि मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर

निविदादाता—

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पातालदेवी, अल्मोड़ा
उर्पाजन कार्य हेतु वाहन की निविदा सूचना

क्र० स०	नाम मार्ग	वाहन का प्रकार	दूरी (अनुमानित)	वर्ष 2026-27 हेतु अधिकतम दर (प्रति किमी०)
01	भतरौजखान मार्ग	पिकप / समकक्ष	120	15.00
02	बिल्लेख मार्ग	पिकप / समकक्ष	90	15.00
03	काकड़ीघाट मार्ग	पिकप / समकक्ष	130	14.00
04	जालली मार्ग	पिकप / समकक्ष	114	15.00
05	चौखुटिया-दूनागिरी मार्ग	टाटा 407 / समकक्ष	111	24.00
06	धामस मार्ग	पिकप / समकक्ष	98	16.00
07	नैनी-भेट मार्ग	पिकप / समकक्ष	109	15.00
08	दन्या-चेलछीना मार्ग	06 टायर ट्रक	118	27.00
09	पीपली मार्ग	पिकप / समकक्ष	35	13.50
10	ताड़ीखेत-अल्मोड़ा	टैंकर	120	रु० 4200 प्रतिदिन
11	खेती-दन्या मार्ग	पिकप / समकक्ष	56	16.00
12	चौखुटिया-तड़ागताल मार्ग	पिकप / समकक्ष	89	16.50
13	ड्डोडाखाल मार्ग	पिकप / समकक्ष	60	14.50
14	सोमेश्वर मार्ग	पिकप / समकक्ष	79	14.50
15	थामथोली-सुवाखान मार्ग	पिकप / समकक्ष	130	13.00
16	भगोती-सनड़ा मार्ग	पिकप / समकक्ष	32	16.00
17	अण्डोली-गैराड़ मार्ग	पिकप / समकक्ष	30	15.00
18	असंगोली-द्वाराहाट मार्ग	पिकप / समकक्ष	32	16.00
19	चायखान-निरई मार्ग	पिकप / समकक्ष	30	15.00
20	सुरचौड़ा-शहरफाटक मार्ग	पिकप / समकक्ष	28	16.00
21	जेदुआ अ०के०चौ०-अल्मोड़ा	टैंकर	200	रु० 6000 प्रतिदिन